

जेल लोक अदालत, उपकारागार हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
पीठासीन अधिकारी— (श्री अमित भट्ट)
सजायावी वारण्ट

फौजदारी वाद संख्या : 1414 / 2022

उत्तराखण्ड राज्य

बनाम

गंगा प्रसाद

मु0 एफ0आई0आर0 नं0: 64 / 2022

धारा: 323, 354, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना: झनकईया, उधम सिंह नगर।

दिनांक:—20.05.2023

अभियुक्त गंगा प्रसाद पुत्र माधो सिंह उर्फ रामप्रसाद निवासी नंगला तराई थाना झनकईया, मूल निवासी सन्तोषपुरा पीलीभीत उत्तर प्रदेश को धारा—323, 354, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक धारा में 01—01 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक धारा में मुव0 250—250/—रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोष 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अपराधी द्वारा इस मामले में पूर्व में भोगी गयी निरोध की अवधि, यदि कोई हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—428 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधिक उपबंधों के अधीन नियमानुसार कारावास के दण्ड में समायोजित की जायेगी। उक्त सभी अधिरोपित सजाये साथ—साथ चलेंगी।

(अमित भट्ट)

सिविल जज/जे0एम0 खटीमा,

जिला— उधम सिंह नगर।